न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी :: श्री अंश दीप आई.ए.एस.

रसद विविध :: 14/2018
जीसीएमएस नं. :: 2018/00247

प्रार्थी :— बनाम अप्रार्थीः—

सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक, पाली

सत्यनारायण पुत्र श्री लिकमाराम, निवासी 183, बाबा रामदेव कॉलोनी, सोसायटी नगर, पाली

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6(ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम

उपस्थित :— प्रार्थी की ओर से सरकारी पैरोकार
अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री जगदीश सिंह राजपुरोहित
अनुपस्थित

—:: नि र्ण य ::—

दिनांक : 3/2/21

प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत विरूद्ध अप्रार्थी सत्यनारायण पुत्र लिकमाराम के बाबा रामदेव कॉलोनी, सोसायटी नगर, पाली स्थित आवासीय मकान से वक्त निरीक्षण दिनांक 10.04.2018 को मौके पर 6 घरेलु गैस सिलेण्डर (14.2 किग्रा) विभिन्न कम्पनियों के तथा 3 अप्रमाणिक सिलेण्डर (5 किग्रा) पाये गये। जिनमें कुछ पूर्ण व कुछ आंशिक रूप से भरे हुए मिले। उपरोक्त गैस सिलेण्डरों के साथ 10 फिलिंग नलियां एवं 5 घरेलु गैस डायरियां भी पायी गयी जिनका अवैध संग्रहण किये जाने पर जब्त कर राज्यसात करने हेतु पेश किया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। बहस सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी की ओर प्रवर्तन निरीक्षक पाली ने वक्त बहस कथन किया कि दिनांक 10.04.2018 को घरेलू गैस सिलेण्डर की कालाबाजारी व अवैध रिफिलिंग की रोकथाम हेतु प्रवर्तन निरीक्षक, रानी सुश्री भावना दयाल हमराह श्री दिनेश बिश्नोई (प्रशिक्षु आर.ए.एस.) जिला रसद अधिकारी महोदय पाली के साथ बाबा रामदेव कॉलोनी, सोसायटी नगर, पाली स्थित अप्रार्थी के आवासीय मकान में पहुचें। मौके पर अप्रार्थी श्री सत्यनारायण पुत्र श्री लिकमाराम उपस्थित मिला व उसने बताया कि वह स्वयं ही आवासीय मकान का मालिक है। प्रार्थी ने मौके पर रूबरू मौतबिरान श्री पारसराम पुत्र श्री पुखाराम निवासी 1119, सोसायटी नगर, पाली एवं श्री राकेश पुत्र घेवरराम, निवासी 1122 सोसायटी नगर, पाली की उपस्थिति में आवासीय मकान की जांच करने पर 6 घरेलू गैस सिलेण्डर क्षमता 14.2 किग्रा विभिन्न कम्पनियों के मिले जिनमें से 5 एचपी कम्पनी व 1 इण्डेन कम्पनी के थे। जिसमें एचपी कम्पनी के 5 गैस सिलेण्डरों के मय गैस वजन क्रमशः 30.400 किग्रा, 30.100 किग्रा, 29.100 किग्रा, 30.00 किग्रा, 18.800 किग्रा तथा एक इण्डेन गैस सिलेण्डर का वजन 18.800 किग्रा था। जिनमें कुछ पुर्ण कुछ आंशिक रूप से भरे हुए मिले। साथ ही 10 रिफिलिंग नलियां एवं 5 घरेलु गैस डायरियां भी पाये गये। मौके पर अप्रार्थी से विधिक दस्तावेज मांगने पर घरेलु गैस सिलेण्डर खाली एवं भरे हुए संग्रहण करने अथवा बिक्री करने से संबंधित किसी प्रकार के वैद्य दस्तावेज़ नही थे न ही अप्रार्थी ने उपलब्ध करवाएं। अप्रार्थी द्वारा वैद्य दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवाए जाने पर प्रार्थी द्वारा बी.के. इन्टरप्राईजेज, पाली के प्रतिनिधी से उपरोक्त जब्त सिलेण्डरों का तौल हैंगिंग स्केल से करवाया गया तथा इस प्रकार घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध रूप से व्यावसायिक उपयोग में लेते हुए एवं अवैध संग्रहण करते हुए पाए जाने के फलस्वरूप द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय, वितरण एवं विनियमन) आदेश 2000 के क्लॉज 3 ए.सी. की अवहेलना करने पर उपरोक्त सामग्री को जब्त कर वजह सबूत कब्जे में लेकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.03.05 19:47:50 IST
Reason: SelfAttested

क्रमश पृष्ठ :: 2

Ansh
जिला कलेक्टर, पाली

अग्रिम आदेश तक सुरक्षित रखने हेतु श्री पवन कुमार पुत्र गोपाराम, निवासी 187, महाराणा प्रताप नगर, पाली हाल गोदाम कीपर मैसर्स बी.के. इन्टरप्राईजेज, पाली को सुपुर्दगीनामे पर दिये गये। उपरोक्त समस्त कार्यवाही के संबंध में मौके पर मोबाईल फोन से फोटोग्राफ्स भी लिए गये जो पत्रावली संलग्न है। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा उपरोक्त गैस सिलेण्डरो को बिना वैध परमिट के संग्रहण कर व अवैध रिफिलिंग कर द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय, वितरण एवं विनियमन) आदेश, 2000 के क्लोज 3 ए, सी की अवहेलना की है, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के प्रस्तुत कर निवेदन है कि जब्तसुदा घरेलू गैस सिलेण्डरो, एवं अन्य सामग्री को राज्यसात (Confiscate) करने के आदेश प्रदान करावे।

अप्रार्थी व अप्रार्थी के अधिवक्ता बावजूद दो बार आवाज लगाने के भी अनुपस्थित रहने पर एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया जिससे स्पष्ट है कि अधिवक्ता अप्रार्थी को जवाब पेश करने हेतु बार–बार समय दिये जाने पर भी कोई जबाब पेश नहीं किया गया। अप्रार्थी व अधिवक्ता अप्रार्थी आज दो बार आवाज लगाने पर भी उपस्थित नहीं होने से आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6 ए के तहत यह समरी प्रक्रिया होने से एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर पत्रावली के गुणावगुण के आधार पर निर्णय किया जाना उचित प्रतित होता है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा वक्त कार्यवाही अप्रार्थी के आवासीय मकान में घरेलु गैस सिलेण्डरों का अनाधिकृत भण्डारण एवं बेचाण पाया गया। घरेलु गैस सिलेण्डरों से छोटे 5–5 किग्रा. के सिलेण्डरों में भराव कर बिक्री करना पाया गया मौके पर 10 रिफलिंग नलियां जिसमें 7 पीतल एवं 3 लोहे की नलियाँ एवं पाँच अनाधिकृत घरेलु गैस कनेक्शन डायरिया बरामद हुई। जबकि एक व्यक्ति के एक से अधिक कनेक्शन नहीं हो सकते मौके पर आवासीय मकान में 6 विभिन्न कम्पनियों के घरेलु गैस सिलेण्डर (क्षमता 14.2 किग्रा) जिसमें एचपी कम्पनी के 5 गैस सिलेण्डरों के मय गैस वजन क्रमशः 30.400 किग्रा, 30.100 किग्रा, 29.100 किग्रा, 30.00 किग्रा, 18.800 किग्रा तथा एक इण्डेन गैस सिलेण्डर का वजन 18. 800 किग्रा था। जो कुछ पूर्ण व कुछ आंशिक भरे हुए 10 रिफलिंग नलियां (7 पीतल की एवं 3 लोहे की), 3 अप्रमाणिक सिलेण्डर (क्षमता 5.5 किग्रा) व 5 घरेलु गैस डायरियां पाई गई। जो अवैधानिक रूप से संग्रहण की हुई थी गैस टंकी एवं डायरियां उपभोक्ता के स्वयं के परिसर में होना चाहिए था लेकिन अप्रार्थी के घर से एक साथ 5 डायरियां जब्दसुदा सामग्री पाया जाना किसी तरह से विधीसम्मत नहीं है। अप्रार्थी के द्वारा अवैध रूप से द्रवित पेट्रोलियम गैस का व्यवसाय करता है तथा इस हेतु प्रयोग में ली जाने वाली नलिया भी वहां पाई गई। उपरोक्त घरेलु गैस सिलेण्डरों व अन्य सिलेण्डरों के अवैध रूप से व्यावसायिक उपयोग व अवैध रिफिलींग किए जाने के कारण जब्त कर सुपुदर्गीनामे पर दिए गए। इस संबंध में अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का अनुज्ञा पत्र व गैस कनेक्शन संबंधी वैध दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए न ही उनके पाए जाने की वैधता बाबत कोई सबूत अथवा दस्तावेज [illegible] के समक्ष अथवा इस न्यायालय में आदिनांक पेश किए गए न ही अप्रार्थी [illegible] द्वारा कोई सन्तोषप्रद जवाब पेश ही किया गया। [illegible] कि अप्रार्थी सत्यनारायण द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.03.05 19:47:50 IST
Reason: SelfAttested

क्रमश पृष्ठ :: 3

जिला कलेक्टर, पाली

द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय, वितरण एवं विनियमन) आदेश 2000 के क्लोज 3 ए. सी. की अवहेलना किए जाने से घरेलु गैस सिलेण्डरों, अन्य अप्रमाणिक गैस सिलेण्डरों, जब्त सुदा रिफिलींग नलियों व घरेलु गैस डायरियों, को राज्यसात (Confiscate) किया ज़ाना, न्यायोचित पाते हैं।

परिणामस्वरुप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी द्वारा अपने आवासीय मकान पर घरेलू गैस सिलेण्डरो का अवैध संग्रहण एवं अवैध रिफिलिंग किए जाने पर जब्तसुदा 6 घरेलू गैस सिलेण्डर जिसमें से 5 एचपी कम्पनी एवं 1 इण्डेन कम्पनी क्षमता 14.2 किग्रा जिसमें एचपी कम्पनी के 5 गैस सिलेण्डरों के मय गैस वजन क्रमशः 30.400 किग्रा, 30.100 किग्रा, 29.100 किग्रा, 30.00 किग्रा, 18.800 किग्रा तथा एक इण्डेन गैस सिलेण्डर का वजन 18.800 किग्रा था। व 3 अप्रमाणिक सिलेण्डर क्षमता 5.5 किग्रा ,10 रिफलिंग नलियां व 5 घरेलु गैस डायरियों को राज्यसात (Confiscate) किया जाता हैं। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी, पाली को प्रेंषित कर आदेशित किया जाता है कि जब्त सुदा घरेलु गैस सिलेण्डरो को मय गैस सुपुर्ददार से प्राप्त कर राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक F 8618/खा.ले./नीति/6A/2020 जयपुर दिनाँक 19.08.2000 एवं उसकी पालना में खाद्य एवं नागरिक रसद विभाग द्वारा जारी पत्रांक F 04{23} ख.ले/नीति/6A/89 जयपुर दिनाँक 16.11.1999 के अनुरूप ही जब्तसुदा गैस सिलेण्डर, रिफिलिंग नलियां व घरेलु गैस डायरियों के निस्तारण की कार्यवाही की जावे। जो सामान उक्त परिपत्र में उल्लेखित नहीं है उसकी नियमानुसार निलामी की जाकर समस्त राशी राजकोष में जमा कराई जाकर पालना रिपोर्ट भिजवावें।

निर्णय आज दिनांक 3/2/21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अंश दीप)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.03.05 19:47:50 IST
Reason: SelfAttested